Despatch No. 835
Dated 26-03-2022

उद्यान अनुसंधान केंद्र,पत्थरचट्टा
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,पंतनगर

खुली बोली के माध्यम से आम, चीकू, आड़ू एवं प्लम बागों की बिक्री की सूचना

उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर 02 फलदा वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से 31.08.2023 तक आम, चीकू, आड़ू एवं प्लम बागों की बिक्री हेतु ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों की खुली बोली/ऑफर के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 को अपराह्न 2:30 बजे नीलामी आयोजित की जानी है। खुली बोली में बोलीदाताओं को प्रतिभाग किये जाने हेतु धरोहर राशि के रूप में लाट सं0–03 हेतु धरोहर धनराशि 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र), लाट सं0–07 हेतु धरोहर धनराशि 5,000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) एवं लाट सं0–09 हेतु धरोहर धनराशि 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) जमा किये जाने होंगे, तदुपरान्त ही बोलीदाता खुली बोली में प्रतिभाग कर सकेंगे।

बागों का विवरण:–

विभाग का नाम	लाट सं0.	बागों का विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
	लाट सं0–3	आम व चीकू क्षेत्र सं0 – 5	12 एकड़
	लाट सं0–7	आम क्षेत्र सं0 12 बी (आयु 8 वर्ष)	2.5 एकड़
	लाट सं0–9	आड़ू एवं प्लम (अतुल्य) क्षेत्र सं0– 7बी एवं 12ए	09 एकड़

नीलामी की शर्तें:

1. बागों के ठेके की अवधि 31.08.2023 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. लाट सं0–03 हेतु धनराशि 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र), लाट सं0–07 हेतु धरोहर धनराशि 5,000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) एवं लाट सं0–09 हेतु धरोहर धनराशि 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) जमा करते हुये नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।
4. उच्चतम बोलीदाता एवं द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (नगद/बैंक ड्राफ्ट) को छोड़कर अन्य बोलीदाता द्वारा जमा किया की गयी धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बोली की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लौटा दिया जायेगा।
5. समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त बोली को अस्वीकृत कर दें।
6. सफल बोलीदाता को उच्चतम निविदा धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) बोली की समाप्ति के पश्चात् जमा करनी होगी, यदि सफल बोलीदाता 25 प्रतिशत धनराशि (प्रथम किस्त) जमा नहीं करता है तो जमा की गई धरोहर राशि (नगद/बैंक ड्राफ्ट) को जब्त कर लिया जायेगा।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली स्वीकृति हो जाने की सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को मंजीकृत डाक/व्हाट्सअप द्वारा दी जायेगी। ठेकेदार को सूचना प्रेषण की दिनांक से 15 दिन के अन्दर अथवा बाग का कब्जा लेने से पूर्व उच्चतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (द्वितीय किस्त) जमा करनी होगी।
8. प्रथम वर्ष फल तुड़ाई से पूर्व उच्चतम धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट बोर्ड कार्यालय में सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा करना होगा। जिसको ठेके की समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार को नियमानुसार लौटा दिया जायेगा।
9. उच्चतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि (तृतीय किस्त) दिनांक 30.09.2022 तक जमा करनी होगी।
10. शेष 25 प्रतिशत धनराशि (चतुर्थ/अंतिम किस्त) दिनांक 28.02.2023 तक जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में बोली में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल बोलीदाता द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किस्त जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट एवं 10 प्रतिशत सुरक्षा धनराशि (वापसी योग्य) के बैंक ड्राफ्ट को जब्त कर लिया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा उच्चतम धनराशि की किस्तें निर्धारित तिथि (समय अवधि) तक जमा न करने की स्थिति में निर्धारित तिथि से अगले 20 दिन तक 20 प्रतिशत की दर से विलम्ब शुल्क के साथ बाग पर कब्जा लिया जा सकता है। इसके बाद ठेका स्वतः निरस्त मान्य जायेगा तथा पूर्व में जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त धनराशि अपने खाते से बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही भुगतान करनी होगी। किसी अन्य के खाते से भुगतान की गई धनराशि मान्य नहीं होगी।
12. जिस ठेकेदार की बोलीदाता स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग बेच नहीं सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

P.T.O

14. शोध कार्य/बौद्धू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु ठेकेदार को फलों की निम्नलिखित मात्रा बिना किसी कीमत के केंद्र को प्रत्येक वर्ष देनी होगी।

क्र० सं०	फल बाग का नाम	प्लॉट संख्या	शोध कार्य/बौद्धू पौध उत्पादन/केंद्र के विक्रय पटल से बिक्री हेतु प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले फलों की मात्रा (वर्ष 2022 एवं वर्ष 2023 से पृथक–पृथक)	शोध कार्य के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी अतिथि या अधिकारी द्वारा केंद्र के ऊपर के समस्त वृक्ष से तोड़ने पर ठेकेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी।
3.	आम व पीचू	सं० – 5	आम 200 किलाग्रा पीचू 200 किलाग्रा	100 फल 50 फल
7.	आम	सं०– 12 बी (आयु 8 वर्ष)	आम 250 किलाग्रा	100 फल
9.	आड़ू एवं प्लम (अलूचा)	सं०– 7बी एवं 12ए	आड़ू 400 किलाग्रा व प्लम 300 किलाग्रा	50 फल 50 फल

15. ठेके की शर्तों के पालनार्थ ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ रु. 100/– के नॉन–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में अनुबन्ध करना होगा। इस अनुबन्ध प्रक्रिया को बाग का कब्जा लेने की दिनांक से 15 दिन के अन्दर पूर्ण करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
16. ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र जो पुलिस/ग्राम प्रधान/विधायक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
17. अनुसंधान वाले पेड़ों/बागों की तुड़ाई परियोजनाधिकारी/वैज्ञानिक की उपस्थिति में की जायेगी तथा ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके ठेकेदार को अवगत करा दिया जायेगा। अगर ठेकेदार अनुसंधान वाले पेड़ों की तुड़ाई बिना पूर्व सूचना या सम्बन्धित वैज्ञानिक की अनुपस्थिति में करता है, तो ठेकेदार से उचित क्षतिपूर्ति की भरपाई की जा सकती है, जुर्माना लिया जा सकता है। ठेकेदार से परीक्षणों की क्षतिपूर्ति के लिए फल परियोजना समन्वयक/वैज्ञानिक/परियोजनाधिकारी की संस्तुति को आधार मानकर क्षतिपूर्ति करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, उद्यान अनुसंधान केंद्र को होगा।
18. सफल बोलीदाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की काँट–छाँट की जायेगी। आड़ू, प्लम एवं नाशपाती में काँट–छाँट से सम्बन्धित प्रक्रिया सम्बन्धित फल वैज्ञानिक की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही की जा सकती है।
19. केंद्र द्वारा नर्सरी में फल–पौध तैयार करने हेतु आम, आड़ू, प्लम एवं नाशपाती बाग से साइन लेने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
20. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
21. उद्यान अनुसंधान केंद्र, पत्थरचट्टा पर उपलब्ध सिंचाई साधनों के माध्यम से शोध के अन्तर्गत बागों में सिंचाई की जाती है। शोध प्लाटों के अतिरिक्त सिंचाई से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
22. सफल बोलीदाता बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के विशेषज्ञों अथवा अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
23. सफल बोलीदाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु केंद्र कार्यालय से गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
24. सफल बोलीदाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
25. केंद्र द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल बोलीदाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल बोलीदाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
26. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तों का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

संयुक्त निदेशक
उद्यान अनुसंधान केन्द्र
पत्थरचट्टा